



युनाइटेड इंडिया इन्ड्रोटेक्स कंपनी लि.
(भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व)

**क्षेत्रीय कार्यालय, आरिफ चौबर्स-1, द्वितीय एवं तृतीय तल, कपूरथला,
अलीगंज, लखनऊ-226024**

IRDAI पंजीयन सं०-545 CIN. U93090DTN19386O1000108

सार्वजनिक सूचना: कार्यालय का स्थान परिवर्तन

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी कम्पनी की व्यापार पुर्नगठन योजना के तहत निम्नलिखित कार्यालय के मूल्यवान ग्राहकों को दिनांक 30.09.2025 से हमारे अपने कार्यालय के द्वारा सेवायें प्रदान की जायेंगी । हमारे ग्राहक नीचे दिए गए निकटतम अथवा नए स्थानों से एवं ऑनलाइन भी, निर्बाध सेवाओं का लाभ लेना जारी रख सकेंगे ।

वर्तमान कार्यालय (नाम व पता)	भविष्य में सेवा प्रदाता कार्यालय (स्थान, पता व फोन नं०)
शाखा कार्यालय 1 – द माल 63/3 कानपुर, संभा-208001	मण्डल कार्यालय 1 कानपुर – 15/46 सिविल लाइंस कानपुर, उ.प्र. – 208001 फोन नं०: 9137511847

दिनांक : 17.09.2025

उप महाप्रबन्धक



हिमालयक एमर्जेंस हेल्पलाइन

पंजीकृत कार्यालय: 501, सालफॉर्न ऑफिस, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली-110025

सीआईएस: U659000DL2020PLC366027

बैंक लिमिटेड

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फार्मर्स बैंक लिमिटेड के निमजलिखित उपकारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी व्यक्तिगत मोटर्स सहित विभिन्न गांवों और नोटिफ़ेसों के बावजूद उनके द्वारा बैंक से लिए गए स्वर्ण ऋण को समायोजित नहीं किया गया है। सभी उपकारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बैंक के पास सूचना के रूप में खले गए सोने के आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और उपचारण शाखा परिसर में सुबह 11.00 बजे नीलामी का समय तय किया गया है, जहाँ से ऋण लिया गया था। उपकारकर्ता, खाताधारकों और आम जनता सहित सभी लोग नीलामी की शर्तों के अनुसार इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि 26-09-2025 / 11.00 बजे है।

क्र. सं.	ग्राम/खा	खता सं.	खता धारक का नाम
1	इंदिरापुरम	101942522390	विशाल डी सिंह
2	आलमबाग	102342511183	गौरव अग्रवाल
3	इंदिरापुरम	101942522821	तबस्सुम रेहाना
4	आलमबाग	102342510485	पुतुल शर्मा
5	नोएडा सेक्टर 45	102742567949	मोहित सिंह
6	आलमबाग	102342510651	उत्कर्ष पांडे
7	आलमबाग	102342511231	सैयद एस हैदर रिजवी
8	इंदिरापुरम	101942522297	आमरप्रम चौहान
9	आलमबाग	102342511155	अजुन सिंह
10	आलमबाग	102342511164	अमर डी पांडे
11	आलमबाग	102342511194	सरस्वती देवी
12	इंदिरापुरम	101942522856	नेहा देवी

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से किसी भी खाते को हटाने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फार्मर्स बैंक लिमिटेड

[illegible]



Chola
Elevate your school

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कोफोर्ट कार्यालय: चोला स्ट्रेट, सी-54 और 55, सुपर बी-4, थिरु विला ओडोकिंग
एस्टेट, सी. के.एन-600032, शाखा कार्यालय: रुपये से 907, दक्षिणनियम टीसी जी-1/1,
शालीमार कोर्पोरेशन पार्क, थिरुवि जं, रोमली नगर, लखनऊ-228010

कब्जा सूचना

[नियम 8 (4) के अंतर्गत] (सहज संपत्ति के लिए)

जबकि ओहोस्ताक्षरी, **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, विभिन्न प्रतिष्ठाओं के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति प्राप्त करने के अंतर्गत अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और 1973 अधिनियम लिख प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पंजीत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11/04/2025 को एक मांग नोटिस (ऋण छात्रा संख्या HE01LUK00000011405) जारी किया है, जिसमें आचरकताओं से अनुरूपी धारा या हैरू 1) मुद्रण कर्मा प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक), 2) रुचि शर्मा (सह-आवेदक), 3) धीरेन्द्र कुमार शर्मा (सह-आवेदक), 4) विशाल शर्मा (सह-आवेदक), उपरोक्त सभी के पते हैं: मकान संख्या 18, नील विशार कोलीनी, सेक्टर-14, इंद्रा नगर, मुंबई पुलिस थाना स्टेशन के पास, लखनऊ, यूपी-226016, 5) मुद्रण कर्मा प्राइवेट लिमिटेड (आवेदक), 6) धीरेन्द्र कुमार शर्मा (सह-आवेदक), 7) विशाल शर्मा (सह-आवेदक), 8) रुचि शर्मा (सह-आवेदक), संख्या 5 से 8, पता: कोर 173, खसर संख्या 173, सी बालाजी दाबा के पास, इंदरवा, नादरपन ओडोकिंग क्षेत्र, वार्ड-सरोजनी नगर, जिला लखनऊ, यूपी-226008 को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 7699706.00/- (छहतर लाख नित्यानेर हजार सात सौ छह रुपये मात्र) 11/04/2025 तक ब्याज सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ताओं और आम जनता को संतुष्ट किया जाता है कि ओहोस्ताक्षरी ने मुकाननी सीओएफ कोर लखनऊ द्वारा कस संख्या 69877/2025 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 28/07/2025 के अनुसार 13/09/2025 को संपत्ति का भीतर कब्जा ले लिया है।

आचरकता का ध्यान रखते परिपक्वताओं को मुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राधान्यों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उपचरकता(ओं) और आम जनता को संपत्ति से लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी शक्ति 11/04/2025 तक 7699706.00/- रुपये (छहतर लाख नित्यानेर हजार सात सौ छह रुपये मात्र) और उस पर ब्याज होगा।

अचल संपत्ति का विवरण:

खसर-संख्या 173, के भाग पर स्थित वह समस्त भूमि और भवन आवासीय संपत्ति है जो बेहटवा, वार्ड-सरोजनी नगर, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 223.048 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: 20 फीट फीट सड़क, पश्चिम: आराजी खसर संख्या 172, उत्तर: खसर संख्या 173 का शेष भाग, दक्षिण: 12 मीटर चौड़ी सड़क।

दिनांक: 13-09-2025

स्थान: लखनऊ

हस्ता/ - प्राधिकृत अधिकारी

मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड


SBI State Bank of India

छात्रा-एसएसएआई लगे (11697): प्रथम तल, केएम बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 112, वांगले औद्योगिक एस्टेट, सर्कल संख्या 22, ठाणे (परिचय) 400 604। **छात्रा की ई-गैल आइडी:** sbi.11697@sbici.co.in

अचल संपत्तियों की विली हेतु विज्ञापन	परिचय - IV-A [विभाग 8(6) का प्रावधान देखें]
---	--

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की विली हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

एम्बेडर/आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(को) और गारंटर(को) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर 30.09.2025 को बेना जाएगा, तारीख 29.07.2024 तक, रु. 22,55,509.00 (केवल बरतन लाख पचपन हजार पाँच सौ नौ रुपये) की वसूली की जा सके, जिसमें श्रीमती फरजाना शेख खान और श्री शैबू शकील खान (ऋणी) से सुरक्षित ऋणदाता के दो अतिरिक्त ब्याज, अकस्मिक व्यय और लालच शामिल है।

अतिरिक्त मूल्य रु. 23,38,000.00 /- (बीस लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) के लिए अंतिम राशि 2,38,00,00 (दो लाख अठतीस हजार रुपये मात्र) होगी।

इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के ऋणभार, स्वामित्व और संपत्ति से संबंधित दावों/अधिकारों/सोसायटी/बिल्डरों के बकाये के बारे में स्वतंत्र रूप से पृष्ठताफ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से प्रिविडेंता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही माना जाएगा।

बोलीदाताओं को नीलामी तिथि से काफी पहले मसंर पीएसबी एलएस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार आवश्यक केवाईसी दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क प्रदान करके <https://baanekn.com> पर अपना पंजीकरण कराना चाहिए। सार्वजनिक ई-नीलामी की तिथि एवं समय 30.09.2025 अपराह्न 1.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक, प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार खंड के साथ।

संपत्ति का विवरण/संपत्ति आइडी क्रमांक	आरक्षित मूल्य (रु. ₹.)	बयान दरिद्र जमा (रु.)	बोली वृद्धि दर (रु. 100/-)	बिडिंग की तिथि एवं समय
प्लॉट संख्या 603, छठी मंजिल, भवन संख्या 5, डी कॉम्प्लेक्स, सुदामा राजेंड्री, दिवा शोर्टेज, दवाले गॉल, खादी दाया, दिवा पूर्व, ठाणे 400612 (सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी पर) कारपोरेट परिया (37.16 वर्ग मीटर), संपत्ति आइडी क्रमांक: SBIIN8940134316	रु. 23,80,000/-	रु. 2,38,000/-	रु. 10.00/-	23.09.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक, सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.sbi.co.in, <https://baanekn.com>, <https://sbi.co.in/web/sbi.in.the.news/auction/notice/sarlesai-and-others> और <https://baanekn.com> पर दिए गए लिंक देखें, या सी सीटी अग्रवाल, सीएलओ मोबाइल नंबर 8269901247 और श्री राजेश कुमारी, सीओ मोबाइल नंबर 8108164975 भारतीय स्टेट बैंक से संपर्क करें।

हस्ताक्षर/तस्वीर
श्री अग्रवाल,
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

दिनांक: 15.09.2025,
स्थान: ठाणे



द्रोहम फाइनॅस लिमिटेड

(पूर्वतः श्रीराम हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

17-09-2025

मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय : श्रीनवास टावर, प्रथम तल, डोर नंबर 5, पुराना नंबर 11, हितवी लेन, सेनादोफ रोड, अहमदाबाद, तेनामटोल, चेन्नई-60

प्रधान कार्यालय : लेवल-3, बॉम्बेकॉर्ट टावरस, इंस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई 400 051; **वेबसाइट :** www.truhomefinance.in

17-09-2025

एलएनए सूचना सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित कर्जदार/से ने द्रोहम फाइनॅस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड) से प्राप्त कर्ण सुविधाओं के मूलभूत और व्याज चुकाने में चूक की है और/उक्त कर्ण खाते अनादिक आसित्या (एनपीए) की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। वित्तीय आसित्या का प्रभूमितोत्तराए एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिपत्ति हित प्रवर्धन अभिनियम, 2002 (सफासी एक्ट) की धारा 13(2) के तहत उक्त अंतिम कर्ण प्राप्त पते पर मांग सूचना जारी की गई है। उक्त मांग सूचना के अतिरिक्त, उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।

कर्जदारा, प्रभूमितोत्तराए, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत प्रेषित मांग सूचनाओं और उनके सहित दावा की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

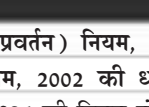
कर्जदार/कर्म-कर्जदार का नाम और पता	प्रधानभूत आसित्याओं का सार्वभित पता	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि रु. में
एलएनए नंबर – SHLHLCNW0000096 श्री सुशील कुमार पुत्र बजरंग प्रभाव (कर्जदार)	प्लेट नं० 201, पुष्पा रेजीडेंसी का प्रथम तल, प्लॉट नं० संख्या –40/17 और एस-35/17 की वी-ब्लॉक, राजाजीपुरम, लखनऊ (पूरु) में स्थित है।	मांग सूचना दिनांक – 15-09-2025
श्रीमती विपिन निमेष पत्नी सुशील कुमार (कर्जदार-2) समीता विपिन – एसएए – प्लॉट संख्या 201, पुष्पा रेजीडेंसी प्रथम तल, राजाजी पुरम, लखनऊ यूपी-226017	सेनकप-50.12 गैर मीटर	मांग सूचना राशि - रु. 6,00,730/- (रु. छह लाख सात सौ तीस मात्र)
कर्ण राशि – रु. 9,44,604/-	सीएनए – उत्तर – सड़क	10-09-2025 तक कर्ण
लैन – SHLHLCNW0000096	दक्षिण – खुला बाकन	मांग सूचना SHLHLCNW0000096 के संदर्भ में साथ ही अब तक उल्लिखित व्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि।
एनपीए तिथि – 05-09-2025	परिचय – प्लेट नं. 202.	

अतः, आता, कर्जदारा से, ऊपर वर्णित पुरी बकाया राशि तथा मुक्ताने की प्राप्ति की तिथि तक व्याज और इंडामन व्याज की, जो देय हो सात है, इस सूचना की प्राप्ति के पुरी से 60 दिनों के भीतर, बकाया की मांग की जाती है। ऐसा नहीं करने पर, आगेहवातारी उपर्युक्त प्रभूमितोत्तराए के प्रवर्धन के लिए सफासी एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु विवशा होमा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अभिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आगेहवातारी संहतति के बिना उपरोक्त प्रभूमितोत्तराए को बिजो, पड़े या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने से प्रतिबधित किया गया है।

एवाज : लखनऊ
दिनांक : 17-09-2025

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी- द्रोहम फाइनॅस लिमिटेड
(पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनॅस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

[illegible]

 आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेनन कैंपडेब, वैरावल, मुजरात - 362 266. कॉर्पोरेट कार्यालय: 12वीं मंजिल, आर्टोटेक पार्क, निरंरतिन कॉम्प्लेक्स, हरम मॉडल फास, गोरगोवा (पूरुव) मुंबई-400 063, महाराष्ट्र			
मार्ग सूचना			
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के फल पडित ("नियम") वित्तीय आगितवों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, नियम की धारा 13(2) के तहत ("अधिनियम") दिनांक 11.03.2024 की वित्तीय योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनंसेस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला लिमिटेड लिमिटेड के बीच वित्तीय के कारण, जिनसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिनियम - अगस्तवादा द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिगत निर्देश जारी गया है, आदित्य बिड़ला फाइनंसेस लिमिटेड द्वारा कार्पलक्षित बंधक संपत्ति के संबंध में बुरु की गई सारी सरकारी कार्रवाइयों, वित्तीय को गई कंपनी आदित्य बिड़ला लिमिटेड को हस्तांतरित हो गई हैं। आधेतात्कालीन, अधिनियम के तहत आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (एपीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी कोने के माने तथा नियम 3 के तथा पडित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) को उक्त सूचना की प्राति की विधि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लेखित राशि चुकावने हेतु मीग सूचना निर्गत की है। आधेतात्कालीन का मानना ११ दिने कर्जदार माना सूचना की तालिल से बच रहे हैं, तथापि सूचना की तालिल नियमों के अनुसार विपक्षकार एवं प्रकाशित करके की जा रहे हैं। मीग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत की गई है: उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त कर्जदार/विधिक उपराधकारी/विधिक प्रतिनिधि को संबंधित सूचना की विधि से 60 दिनों के भीतर एपीसीएल को उनके संबंधित कोने के सम्पत्त नीचे दर्शाई गई शक्ति का प्रयुक्त करने हेतु सूचित किया जाता है, साथ ही नीचे उल्लेखित संबंधित विधि से भुगतान एवं सूरती की विधि तक कर्जदार द्वारा निष्पादित श्राव सम्पत्तियों के अभाव में भुगतान को/लेवों के विषय पडित नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अतिरिक्त व्याज भी देय होग। इसके के उचित पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत आगितवों (यों) को क्रमशः कर्जदार द्वारा एपीसीएल को बंधक रखा गया है।			
क्र.सं.	कर्जदार (रों) का नाम एवं पता	मार्ग सूचना तथा एनपीए का	अवसर का विवरण
1.	1. श्री हरमिंदर सिंह, पुत्र जगत सिंह, मकान संख्या 288/152 आर्य नगर, लखनऊ - 226004, मोबाइल नंबर 93899441168 साथ ही: श्री हरमिंदर सिंह, अमर टेड एंड फनीचर हाउस के प्रोपराइटर, दुकान संख्या- एलजीएफ-01 और वसेमेट, 288/177, आर्य नगर, लखनऊ - 226004. 2. श्री गान्धयी छहड़ा, पुत्र श्री हरमंद छहड़ा, मकान संख्या 288/152 आर्य नगर, नाका हिंडोला लखनऊ - 226004, मोबाइल नंबर 9450020300. साथ ही: श्री गान्धयी छहड़ा, पुत्र श्री हरमंद छहड़ा, दुकान संख्या- एलजीएफ-01 और वसेमेट, 288/177, आर्य नगर, लखनऊ - 226004.	12.09.2025 तथा 03.09.2025 कुल बकाया देय राशि 11.09.2025 तक रु. 68,45,584/-	संपत्ति -1 संपत्ति का समस्त भाग: दुकान संख्या एलजीएफ-01, निचले तल पर, क्षेत्रफल 130.125 वर्ग फुट, भवन संख्या 288/177 पर, प्लॉट संख्या 136 पर निर्मित, आर्य नगर, थाना नाका हिंडोला, बार्ड- मोती लाल नेहरू नगर, लखनऊ एवं जिला- लखनऊ में स्थित। सीमाई: - पूर्व- सामान्य मार्ग, पश्चिम- ज्ञानी महेंद्र सिंह का मकान, उत्तर- दुकान संख्या एलजीएफ-02, दक्षिण- सामान्य सड़ियाँ और उसके बाद मार्ग, 20 फुट चौड़ी सड़क (आर्य नगर) संपत्ति -2 गोदाम का समस्त भाग, वसेमेट पर, क्षेत्रफल 93.25 वर्ग फुट, भवन संख्या 288/177 पर, प्लॉट संख्या 136 पर निर्मित, आर्य नगर, थाना नाका हिंडोला, बार्ड- मोती लाल नेहरू नगर, लखनऊ एवं जिला- लखनऊ में स्थित। सीमाई: पूर्व- विक्रताओं की संपत्ति, नारायणलाल संख्या- 288/178, पश्चिम- ज्ञानी महेंद्र सिंह का मकान, उत्तर- 10 फीट चौड़ी गली, दक्षिण- सड़ियाँ और मार्ग तत्पश्चात 20 फीट चौड़ी सड़क (आर्य नगर)

अतिरिक्त ध्यान सौहित, उत्तर उल्लिखित संवीधत माँग सुचना में विशेष रूप से बताई गई पर अतिरिक्त ध्यान, भुगतान और/या वसुली तह हल हल आवासिक धन, ध्यान, भुगतान आदि। यदि उत्तर कर्जदार उपरोक्त अनुसार एसीएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो एसीएल/उत्तर उल्लिखित तह भाग 13(4) एवं प्रत्येक नियमों के तहत उपरोक्त प्रभुत्व संघि(यों)/अवत संघि(यों) के विरुद्ध पुर तह से उत्तर कर्जदार/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधियों के जोड़िए पर लागत और परिणामों में संवय में आगे बढ़ेगा।

उत्तर कर्जदार/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधियों(यों) को उत्तर अधिनियम के तहत एसीएल को पूर्व लिखित सहमति के बिना बिना, ढुंटे या अन्यथा के माध्यम से उत्तर प्रभुत्व संघि(यों)/अवत संघि(यों) को हस्तान्तरित करने से प्रतिबन्धित किया गया है। (कृपया ध्यान दें कि यह अधिनियम अतिरिक्त के प्रभुत्व/विधिक एवं पुनर्निर्माण तथा प्रभुत्व हित प्रदत्त अधिनियम, 2002 (2002 का 54) को धारा 13(2) के अनुसार यह आमतो नोट है, करने की आवश्यकता नहीं है। एसीएल को कर्जदारों के विरुद्ध उत्तर उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होगा, जो पुर तह से उनके जोड़िए, एसीएल एवं लागत पर होगा।